

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

ISO: 9001:2008 प्रमाणित केंद्र/Certified Centre

वर्ग अनुमोदन सं. 1838 / Type Approval No. 1838

मद/FOR ITEM: एल सी ए (तेजस) हेतु ओ ए सी के ¾ एटीआर चेसिस ¾ ATR Chassis of OAC for LCA (TEJAS)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स अपोलो कंप्यूटिंग लबोरटरीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, ए11, इलेक्ट्रोनिक काम्प्लेक्स,कुशैगुडा, ई सी आई एल पोस्ट, हैदराबाद-500 062 द्वारा अभिक्लिपत, विकसित एवं उत्पादित " ¼ एटीआर चेसिस", पार्ट संख्या, चेसिस पार्ट सं. एडीए-एसीएल/एलसीए-3/4एटीआर/सीएच/ए और माउंटिंग ट्रे पार्ट सं. एडीए-एसीएल/एलसीए-3/4एटीआर/टीआर/ए को टॉटल असेंब्ली आरेखन सं. ¾ एटीआर-डीआर-03, इश्यू-01, रिविज़न सं. 04, दिनांक 08 मई 2014 और माउंटिंग ट्रे आरेखन सं. ¾ एटीआर-डीआर-02, इश्यू-01, रिविज़न सं. 04, दिनांक 08 मई 2014 के अनुसार तेजस वायुयान (एलसीए) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से विनिर्देश दस्तावेज सं. एटीआर-एसपी-01,इश्यू सं. 01, रिविज़न:00 दिनांक 14 मई 2005 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ' ए' में संलग्न "वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "¾ ATR Chassis" bearing the Part No.: Chassis Part No. ADA-ACL/LCA-3/4 ATR/CH/A & Mounting Tray Part No. ADA-ACL/LCA-3/4 ATR/TR/A, designed, developed and manufactured by M/s. Apollo Computing Laboratories (P) Ltd., A11, Electronic Complex, Kushaiguda, ECIL Post, Hyderabad - 500062, is hereby approved for production as per Total Assembly Drawing No.: ¾ ATR-DR-03, Issue - 01, Rev No.04, Dated: 08th May 2014 and Mounting Tray Drawing. No. ¾ ATR-DR-02, Issue:01, Rev:04, Dated. 08th May 2014, for use in Tejas aircraft (LCA). The product has been tested in co-ordination with RCMA (HYD) as per Specification Doc No.: ATR-SP-01, Issue No.: 01,Rev:00 Dated 14th May 2005. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ सं./Page 01 of 02

F-07-07

पृष्ठ सं./Page 02 of 02 टी ए सं./TA No. 1838

इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), हैदराबाद-500 042, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (HYD), Hyderabad - 500 042, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट ' ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1838

दिनांक/Date:

22-Sept 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(पी.जयपाल /P. JAYAPAL) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)



